न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति अदिति पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :- 01/2016
तारीख दायरा 05/02/2016

प्रार्थीगण :-
(1) मोहनसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंहजी
(2) जयसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंहजी
(3) जगदीशसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंहजी
(4) हरिसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंहजी जातिगण राजपुरोहित
निवासीगण सिंगरला तहसील रानी जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रत्यार्थीगण :-
(1) रतनसिंह पुत्र खीमसिंहजी जाति राजपुरोहित
निवासी सिंगरला तहसील रानी जिला-पाली (राज.)
(2) राजस्थान सरकार (खातेदारी) जरिये तहसीलदार
रानी, जिला-पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :-
(1) श्री मुकेशकुमार दवे, अभिभावक प्रार्थीगण की ओर से।
(2) श्री विजयसिंह राजपुरोहित अभिभावक प्रत्यार्थीगण
संख्या 01 की ओर से।

-: आदेश :- दिनांक 03/11/2017

(1) प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सपठित आर्डर 39 नियम 1 व 2 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत विरुद्ध प्रत्यार्थीगण के प्रस्तुत कर जाहिर किया कि मौजा सदर ग्राम बिंगरला तहसील रानी स्थित आराजियात नये खसरा नम्बर 205 रकबा 2.56 हैक्टर किस्म चाही व जात प्रथम राजस्व लगान रुपया 55.96 वार्षिक में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का व 1/2 हिस्सा प्रत्यार्थी संख्या-1 का खातेदारी व कब्जा काश्त शुदा विद्यमान है। मौके पर प्रार्थीगण व प्रत्यार्थी संख्या-1 आपसी सहमति से बंटकर अपने-अपने बंट पर काश्त की बुवाई कर रहे है, किन्तु बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नहीं हुआ है। आपसी सहमति से बंटवारा हेतु सहमत नहीं हुए है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी करते रहते है, जिसके प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T. Act के तहत पेश किया है। जो प्राइमाफेसी मेन्टेनेबल है।

(2) प्रार्थीगण 1/2 हिस्से के हकदार व खातेदार है, तथा अपने हिस्से पर लगातार काबिज होकर काश्त कर रहे है। किन्तु प्रत्यार्थी सं.1 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करता रहता है। प्रत्यार्थी संख्या 01 को कब्जे काश्त में दखल करने का कोई हक अधिकार नहीं है। जिसे रोका जाना आवश्यक है।

(3) प्रत्यार्थी सं. 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थी के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं हो सकेगा।

(4) प्रार्थी का निवेदन है कि बेलेन्स ऑफ कन्वीनियेन्स भी प्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थीगण का प्रथम-दृष्टया स्वीकार कर तार्कसंगत वाद प्रत्यार्थी संख्या 1 को पाबंद

उपखण्ड अधिकारी (जिला-पाली) राज.

साथ व प्रार्थीगण को अपने 1/2 हिस्से पर काश्त करने
से नहीं रोके न ही किसी किस्म से कब्जा करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यार्थीगण जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. एक में प्रार्थीगण ने गलत बाद व प्रार्थना पत्र वास्तविक तथ्यता को छिपाते हुए पेश किया है यह गलत है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. एक की संयुक्त खातेदारी व कब्जा शुद है। बल्कि सम्पूर्ण आराजी नम्बर खसरा नं. 205 रकबा 2.56 है. अप्रार्थी संख्या एक की खरीद शुदा खातेदारी व कब्जा शुद है प्रार्थीगण के पिता ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दि.10/9/1981 से अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 अप्रार्थी सं. एक को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। जिसका नामान्तरकरण संख्या 615 दि. 04/01/1983 को भरकर अप्रार्थी सं. 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया था। लेकिन दौराने सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट विभाग ने गलत रूप से प्रार्थी के पिता का नाम पुनः खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2041 से 2060 में सुविधा दर्ज कर दिया। जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई हक अधिकार नहीं था। जिसकी जानकारी अप्रार्थी सं. 1 को होने पर अप्रार्थी सं. 1 ने राजस्व वाद सं. 71/2010 (पुराना वाद सं. 109/2008) रतन सिंह व अन्य बनाम मोहनसिंह व अन्य A.C.M court देसूरी पेश किया; जो अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ, जिसे पुनः रेस्टोर करना कार्यवाही जारी है।

अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में बताया कि प्रार्थी ने पूर्व में राजस्व वाद इसी नेचर का 2002 में मोहनी बनाम रतनसिंह प्रस्तुत किया था, जो खारिज हुआ। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. एक के पक्ष के रजिस्टर्ड बेचाननामा

दि० 10/3/1993 को फर्जी करार देने हेतु गलत कार्यवाही प्रकरण 58/96 दर्ज करवाया जो बाद अपील एफ. आर. न० 09/97 के अदम पैरवी में खारिज की। जो एक बार भी न्यायिक कोर्ट, रेवदर में पुनरवार नाके दि० 20/9/2006 को प्रार्थी का गलत प्रकरण खारिज किया। जिससे प्रार्थीगण का गलत वाद व प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया Barred by Law होने से खारिज योग्य है प्रार्थीगण ने मात्र राजस्व रिकॉर्ड में बोली हुई हक में ही गलत नाम पुनः गलत सुविधा, होने का गलत इन्द्राजात करते हुए वादग्रस्त आराजी को हड़पने की नियत से गलत वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे प्रार्थना पत्र का सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष के नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई कब्जा ही नहीं है तो निषेधाज्ञा जारी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी सं० 1 की वादग्रस्त आराजी खरीदशुदा, खातेदारीशुदा एवं कब्जा शुदा है, जिससे सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सं० 1 के पक्ष में है जिसके एवं शर्त के रजिस्टर्ड बेचान, हस्तांतरण, गोदनामे प्रकरण की जानकारी है, जिसको भी छुपाकर बिना गलत वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे प्रार्थीगण संरक्षण करवाने का खातेदारी हक, अधिकार पाने के अधिकारी नहीं है जिससे प्रार्थीगण निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस समाप्त की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस के संक्षेप में तथ्य हैं कि ग्राम बिंगला के खसरा नं 205 रकबा 2.56 है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं० 1 की संयुक्त खातेदारी

की भूमि है। जिसके प्रार्थीगण को 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी
नं 1 को 1/2 हिस्सा है। जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार
है प्रार्थीगण ने न्यायालय में वाद पत्र धारा 53, 188
R.T.Act. का प्रस्तुत किया है। जिसका कोई विधिवत
रूप से विभाजन के बंटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थी का
को सहमति से बंटवारा हेतु कहने पर भी सहमत नहीं हुआ
प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के रकबा का ले है। जिसके
वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अप्रार्थी नं 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया
कि दि. 10-4-81 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी नं 2
को बेचान कर दिया है। अप्रार्थी का कथन गलत है प्रार्थीगण
के पिता ने कोई बेचान नहीं किया है। प्रार्थीगण के पिता
का नाम राजस्व रेकर्ड में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी
के आदेश से अंकन हुआ है। प्रार्थी के पिता ने कोई
बेचान नहीं किया है। हमारी खातेदारी भूमि के
1/2 हिस्से में जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के अप्रार्थी
को रजिस्ट्री से रोका जावे

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के कथनों का
खण्डन करते हुए कथन किया कि ग्राम विंगाला
में हम खातेदार है खाता नं 205 के 2 खाते है लक्ष्मणसिंह
भवानसिंह, नाथसिंह व कल्याणसिंह दोनों ने अलग 2 विक्रय
विलेख के जरिये अप्रार्थी को बेचान की है। प्रार्थी
लक्ष्मणसिंह के वारिसान है दोनों खातेदार ने आधा-आधा
हिस्सा अप्रार्थी नं 1 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान किया है
दस्तावेज को इन्होंने FSL में कराया, वो फर्जी के
जाली साबित हुआ। FIR निरस्त की। इसके बेचान से
इनका मात्र नाम है। इसने इस जमीन का दावा
पेश किया था। जो अभी हाजरी में स्थापित हुआ है

उसकी अपील की। अपील पेश है। ऐसे में

कहना है कि किसी का RAA में प्रकरण अपीलाधीन

है तो. यह यहां, दोनों ज्ञापन चल नहीं सकता है

T.I में देखना यह है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता

है या नहीं, शामिल्दी व मुशरका काश्तकार के हैं,

प्रार्थीगण का इसके कोई हक नहीं है इनका कोई

कब्जा काश्त नहीं है शामिल्दी की फार्द शामिल

नहीं किया। इसके पूर्व इन्होंने भी एक दावा पेश

किया था जो अदम पैरवी में खारिज हुआ।

गलती से इनका नाम चल रहा है. RAA को अपील

विचाराधीन है, तब तक यह वाद स्थगित रखा जावे

हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की

बहस पर मनन किया। पत्रावली मय उपलब्ध

दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रस्तुत वाद विभाजन व निषेधाज्ञा का

है जिसकी सिविल तो इस वाद से तय होगा।

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थी सं. 2 ने

भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के खरीद

शुदा है अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त शुदा

है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में

न होकर अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में साबित है। सुविधा

का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धांत भी अप्रार्थी

के पक्ष में है जिससे अप्रार्थी खातेदार के विरुद्ध

T.I पारित नहीं किया जा सकता है

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 RT Act

परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

आदेश आज दि. 3-11-2017 को सुनाया

बाद तकमील के जमा हो